MANE BENVARE AS IN CONTROLL TO

धारूप "ब" येखिये नियम 9(3)(4) और (6)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू (जयपुर)

क्रमां / राजस्व आठयोठ / 2019 /

विनांक /

संपरिवर्तन आदेश

श्री अम्बरीश तिवाडी पुत्र श्री अरूण मुमार तिवाडी जाति ब्राहम्ण निवासी 337 तिवाडी बिल्डिंग नाहरगढ़ रोड, चांवपोल बाजार जयपुर जिलां जयपुर शांव के आवेवन—पत्र पर उनकी खातेवारी अभिचृति में चारित क्षि भूमि का राजरचान भू—राजरव (यामीण होत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनी के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टीयां नीचे दी गई है:—

1				
	. आवेदक खातेदार अभिधारी का ना			
	पिता / पति के नाम सहित पुरा पता	जाति ब्राहम्ण निवासी 337 तिवाडी विल्डिंग नाहरगढ		
		रोड, चांदपोल याजार जयपुर जिला जयपुर राजा		
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित			
	जनजाति का सदस्य हैं।	The state of the s		
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा -			
	(अ) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का	ग्राम कोटजेवर, ग्राम पंचायत झरना, तहसील		
	नाम	मौजमाबाद		
-	(ब) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक	78 WILL AND 706 / 504 TOTAL 00475		
	खसरा नम्बर का क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 796/504 रकबा 0.9475 हैक्टेयर कुल		
	वसरा गन्पर का वात्रकल	किता 1 कुल रकबा 0.9475 हैक्टेयर		
	(स) प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को	खसरा नम्बर 796/504 रकबा 0.9475 हैक्टेयर में से		
	उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित	9475 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 9475 वर्गमीटर भूमि		
1	क्षेत्रफल या हैक्टेयर या वर्गमीटर।	रूपांतरित की गयी।		
1	पात्रकरा चा उपन्या या पानावरा	जनातास्य का नवान		
-	संपरिवर्तन का प्रयोजन			
4.	सपारवतन का प्रयाजन	आवासीय योजना		
5.	संदेय प्रीमियम की दर	7.50 / - रूपये प्रति वर्गमीटर		
0.		7.507 - राजव प्रास वर्गनाटर		
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा	चालान संख्या जी.आर.एन नं. 27740362 दिनांक		
	कराई गई प्रीमियम की रकम	23/01/2019 राशि 71,100/- रूपये अक्षरे		
		इकहत्तर हजार सौ रूपये मात्र राजकोष में जमा		
		कराई गई।		
		परिष्ठ ग्रहा		
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति			
	यदि कोई हो कि जमा कराई गई रकम			
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज	The transfer of the second second		
0.				
	यदि कोई हो, कि जमा कराई गई रकम			
<u>d</u>				
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13	_		
	के अधीन जारी किया गया हैं।			
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	ले–आउट प्लॉन संलग्न हैं।		
11.	ज्यार्शक्त संगरितर्तन शार्नण निरम्भिक र			
	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा:-			
1.	उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये विना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।			
	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 साल की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के			
	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख	से 5 साल की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के		
	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।	से 5 साल की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा		

उपखण्ड अधिका

	T1			
3.	नियम-४ में यशावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।			
4.	लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूगि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन			
	चिपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।			
5.	आवेदक को राम्परिवर्तित भूगि के एक हटाये गए वृक्ष के एवज में एक वर्ष की अवधि में तीन छाट			
	े पने विश्वों को लगाने की शर्त के अनुसार कल हटायें जाने याग्य 00 पेंड की ऐवल में 00 व्यव नामने 🥼			
1	पर उन्त 00 पेड़ हटाने की अनुमति दी जाति है आवेदक को वृक्ष लगाने में असफल रहने पर नई			
	गर्थे वृक्षों के लिए 500 ∕ - रूपर्ये प्रतिवर्ष राजस्य मद में जमा कराना होगा।			
6	राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / अन्य राङ्क मार्ग जंहा से संवरिवर्तित भूमि वर पहूँच है उस			
	इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से छोडी गई भूमि निःशुल			
	पक्ष में संगर्पित की जायंगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायंगा।			
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार			
	निर्माण विभाग द्वारा संधारित सडकों से रास्ता चाहते है, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमी			
	होगी।			
8.	आवेदित भूमि में 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिये आरक्षित रहेगा, जिस पर किसी प्रक			
	निर्माण / वैचान नहीं किया जावेगा। उक्त सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के रवामित्व में रहेगा।			
9.	राजरव विभाग के परिपन्न कमांक प.6(6) राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27/06/2007 एवं प. 6(6)			
	92 पार्ट / 23 दिनांक 17 / 07 / 2007 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।			
10.				
	15/05/2008 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा			
	स्थित हो तो डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।			
11.	राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूगि का अकृषक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 200			
	इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्र / निर्देशों की सभी शर्ते लागू होगी।			
12.	संपरिवर्तित भूमि पर स्वायत शासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 65 (310) ए			
	रथानि/जैसारों/2005/12259 दिनांक 11/02/2005 में अंकित शर्ते लागू होगी।			
13.	आवेदक को योजना का विकास अनुमोदित ले आउट प्लान अनुसार ही करना होगा।			
14.	अनुमोदित ले-आउट प्लान में दर्शाया गया सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा।			
15.	विकास कर्ता को आवासीय कॉलोनी / प्रोजेक्ट के वहार की सम्पर्क सडक तथा अन्दर की सडके स्वयं व			
	होगी।			
16.	आवासीय कॉलोनी / प्रोजेक्ट में बिजली,पानी की अन्य आधारभूत सुविधाएं स्वयं विकसित करनी होगी			
17.	कुल सम्परिवर्तित क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिए होगा जो राज्य सरकार को समर्पित व			
	होगा। आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व संपरिवर्तन नियम 🕏			
	No.F.66(26)Rev.6/2014/33 दि. 6/10/2016 के अन्तर्गत परिपन्न कमांक पु9(19)राज-6/2018			
	दिनाक 29/05/2018 नियम 9 (2) तथा प्रपत्र जी के कम संख्या 4 के तहत ले आउट प्लान/विहि			
	प्लान का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजक से प्राप्त करना होगा।			
18.	आवासीय कॉलोनी / प्रोजेक्ट की चार दिवारी वनवानी होगी तथा पार्कों का विकास करना होगा।			
	The state of the s			

विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर)

क्रमांक / राजस्व-आ0यो० / 2019 / 231 - 294 प्रतिलिपी- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

दिनांक / 11 /02/2019

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, जयपुर जिला जयपुर।

2. तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदर जयपुर के पत्र क्रमांक / आर—1() भू रू. / 17 / 2133 दिनांक 27 / 03 / 2017 के अनुसार आवासीर योजनाओं के लिये छोडा गया 40 प्रतिशत क्षेत्र राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

3. पटवारी हल्का झरना, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

4. श्री अम्बरीश तिवाडी पुत्र श्री अरूण कुमार तिवाडी जाति ब्राहम्ण निवासी 337 तिवाडी बिल्डिंग नाहरगढ रोड, चांदपोल बाजार जयपुर जिला जयपुर राज0

कार्यालय तरक्षित्र वर्ष भी मीजमावाद कमात्र (भूथ/१९) (१२० १६ २०) मीजमावाद परवारी हल्का भाजा की नियमानुसी पालनीर्थ प्राचार हल्का भाजा की नियमानुसी पालनीर्थ


स्पर्वाहत ब्राधिकारी उपखण्ड् क्षूधिकारी दूदू (जयपुर)

तहसीलदार तहसील नीजमाबाद (जयपुर)

PROPOSED LAY OUT PLAN OF "GREEN VIHAR"

IN KHASRA NO. - 796/504 AT VILLAGE - KOTJEWAR, TEH.- MOJMABAAD, JAIPUR.





-धीमानजी

मीके अनुसार सुसंगत है

प्रश्तावित ले आऊह प्लान की सीमार्ट मुताबिक राजस्व रिका ई रनस्या नन्या एवं

तहसीलदार मौजमाबाद जिला–जयपुर (राज.)

25/01/20/9 प्टक्षणी (श्रुक्त)झरना तहमाल धोजमाबाद

वेदक द्वारा निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावंगी।

- आवेदक ग्रास निम्न शती की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

 उक्ता से आवट प्लान संपरितर्शन आदेश कमाक / 2.96

 दिगाक 11/2/20/3 का पार्ट होगा।

 उक्ता किया के प्रीस्त्र कमाक पढ(छ)राज-6/92 पार्ट 20 दि

 20.60 ए एवं परिश्व कमाक पढ(छ)राज-6/92 पार्ट 20 दि

 20.60 ए एवं परिश्व कमाक पढ(छ)राज-6/92 पार्ट 20 दि

 3. भूति को एपोल कोत की उपारस्त्रता एवं पराल के आस पात अगर पूर्व में अनुमीरित गोजना किया है। हो भी जीना में अने अत रकती

 स्वी-शिवा किया जावेगा

 4. गोजना के मुख्यकों पर शर्टक एवं अन्य मजन निर्माण के प्रमान्त्र कर स्वी-शिवा को स्वाप्त के अगर पात को स्वाप्त के स्वाप्त के प्रमान्त्र हों।

 5. गोजना के आमरणा पुरिधारों जीने सडका नाक्षी निर्माण पाकी का विकास, लाईट-पानी आदि का विकास आदेद को सवस के का स्वप्त के विकास को स्वप्त के प्रमान्त्र हों।

 5. जार्ज अगर सी मुमानित समीति मूनी पर दिनों गकर का निर्माण मही किया जा कमेगा स्वेचना में दस्तीय गते सुनिवा को सवस के स्वप्त करना होगा।

 6. आदेदक हमा स्वप्त के अन्य के सम्बन के स्वप्त करना होगा।

 6. कार्यक हमा स्वप्त के स्वप्त के स्वप्त करना होगा।

ত্যবেত্ত প্রাঘকা**র** . दुव

खसरा मानचित्र

खसरा नं. :- 796/504 :- 0.9475 HECT. क्षेत्रफल

खातेदार का नाम :-

खसरा मानचित्रः-



योजना का नाम :-"GREEN VIHAR"

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.YDS.)	(%)
1	RESIDENTIAL	5265.76	46.47 %
2	PARK	567.25	05.00 %
3	ROAD	5499.09	48.53 %
		11332 10	100 00 0

SCHEME AREA

योजना सीमा :-योजना कोणविन्दु :-(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)

पैमाना :-1" = 50' FEET

दिशा सुचक

9475.00 SQ.MTR.



आवेदन :- जिलाधीश जयपुर

